

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्पावत।

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, IRRIGATION.DIVISION (P.W.D.), CHAMPAWAT
Phone – fax 05965-230148

E-Mail; eepmgsychampawat@gmail.com

पत्रांक ... 1004. / 03 पी०एम०जी०एस०वाई०

दिनाँक ...! 2.... / 08 / 2021

सेवा में.

प्रभागीय वनाधिकारी. चम्पावत वनप्रभाग, चम्पावत।

विषय :-

जनपद चम्पावत में चमदेवल से नििंडल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.54 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक 8 बी. / यू.सी.पी. / 06 / 82 / 2015 / एफ0सी0 / 262, दिनांक 29.06.2021 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक 97 / FP/UK/ROAD/10142/2015, दिनांक 09.07.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग से सम्बन्धित वन भूमि हस्तान्तरण के ऑनलाइन प्रस्ताव में सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त है, अनुपालन आख्या में लगायी गयी निम्न आपत्तियों का निराकरण कर प्रेषित की जा रही है।

Cat as

| 9 110 | आपित्तियां | निराकरण |
|------------------|---|---|
| सं0 1 | It is seen that NPV calculation sheet mentioned density 0.4 has been uploaded online and submitted with the hard copy of the proposal. Thus the amount of Rs. 46,81,300/- is required to be deposited in the CAMPA fund instead of Rs. 36,39,780/- State Govt. may submit the clarification in this regard. | कार्यवाही प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वनप्रभाग, चम्पावत के स्तर से की जानी है। |
| 2 | State Government may submit the CA scheme of Rs. 33,96,363/- as per which the amount has been deposited in the CAMPA fund. | कार्यवाही प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वनप्रभाग, चम्पावत के स्तर से की जानी है। |
| 3 | In Compliance to point No. 01 of in-principle approval letter, following point are notice: | |
| (i) | The area of CA is mentioned as 11.80 ha instead of 11.08 ha in the Nodal Officer's letter. State Government may submit the clarification in this regard. | क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि का क्षे० 11.08 हे0 है। टंकण त्रुटि के कारण 11.08 हे0 के स्थान पर 11.80 हे0 हुआ है। |
| (ii) | Name of CA area is mentioned to be in Gureli village only instead of Gureli village and Selpar village. State Government may submit clarification. | क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि ग्राम सेला सेलपड़ (4.909 हे0) एवं गुरेली (6.171 हे0) कुल 11.08 हे0 है। |
| 4 | As per the guidelines 2.4 (i), it has already been conveyed to the State Govt. that civil and soyam land selected for CA must be notified as RF/PF prior to the Stage II approval. But Still the proposal has been forwarded without notification. | कार्यवाही प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वनप्रभाग, चम्पावत के स्तर से की जानी है। |

भददीय

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड,(लो०नि०वि०)चम्पावत।